सहज™

पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-2019

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

निदेशक मण्डल

श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन. 06963747)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री चन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 06964687)	निदेशक
श्री जवाहर लाल (डी.आई.एन. 07081926)	निदेशक
श्री मुरारी लाल (डी.आई.एन. 06966195)	निदेशक
श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066)	निदेशक
श्री राजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245)	निदेशक
श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)	निदेशक
श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050)	निदेशक
श्री रवि कुमार दीपक (डी.आई.एन. 08198061)	निदेशक
श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08198083)	निदेशक
श्री अजय कुमार खोसला (डी.आई.एन. 01854876)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह (डी.आई.एन. 06895219)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री वेंकटा राजू केसीराजू (डी.आई.एन. 06420949)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बसन्त चौधरी (डी.आई.एन. 08277954)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरूग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
इंडसइंड बैंक, आगरा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आगरा
ऐक्सिस बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(सिन : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुड़गाँव, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एन.एच.–2
सी–1 ब्लॉक, एल.एस.सी सावित्री मार्केट
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–17
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	18–28
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक	
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	29
	(ब) लाभ–हानि विवरण	30
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	31
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	32–53
संलग्नक : छठी वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक		54–72

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

- ★ ईमानदारी
- ★ दूरदर्शिता
- ★ गुणवत्ता
- ★ पारदर्शिता
- ★ टीम-भावना
- ★ साहस और जुनून
- ★ जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर
- ★ समय तत्परता

ध्येय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय शेयरधारक साथियों,

पाँचवें वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रदर्शन पर सभी सदस्यों को अवगत करते हुये मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

विश्व के साथ तालमेल बिठाते हुए, हमने नवप्रवर्तन और विविधीकरण को अपनाया है क्योंकि हमारे परिवर्तन विकास का कारण बनते हैं, हालांकि, पिछला वर्ष कई मायनों में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन सराहनीय रहा हैं, हमारी कंपनी ने रूपये 841.85 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और कर के बाद रूपये 13.49 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया।

आपके निदेशकों ने लाभांश की अनुशंसा का प्रस्ताव पारित किया है, यह लाभांश उन सदस्यों को मिलेगा, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च,2019 की अवधि तक अंकित हुआ है।

कंपनी ने अपने उन सक्रिय उत्पादक सदस्यों को रू. 4.25 करोड़ का प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने सदस्यता के मानदण्डों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा किया है। कम्पनी ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें कम्पनी का उत्पादक सदस्य बनाना तथा उनकी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे डेयरी किसानों को प्रशिक्षित किया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने अपने पंजीकृत सदस्यों से पश्चिम यू.पी. के 10 जिलों : आगरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, बदायूँ, मुरादाबाद और जे.पी. नगर के 3,425 मिल्क पूलिंग पॉइंट्स के माध्यम से 2,167 लाख किलोग्राम कच्चा दूध उपार्जन किया है। इसके अलावा कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना प्रथम के उद्देश्यों के अनुरूप काम करते हुए कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.) और राशन संतुलन कार्यक्रम जैसी उत्पादक बढ़ाने वाली सेवाओं के क्षेत्र में भी काम किया है। वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अपने 600 कुशल मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.) तकनीशियनों के माध्यम से 4,950 गाँवों में किसानों के दरवाजे पर 3.68 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गए है।

''सहज सुदाना'' के ब्रांड नाम के तहत कंपनी का पशु चारा और ''सहज मिन'' के ब्रांड नाम के तहत कंपनी का चिलिटेडि क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण को कंपनी के परिचालन क्षेत्र से बहुत सकरात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और कंपनी ने पशु आहार और खनिज मिश्रण के लिए क्रमशः 10,841 मीट्रिक टन और 125 मीट्रिक की बिक्री दर्ज की हैं। इससे दुग्ध उत्पादकों और किसानों के दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिली है।

कंपनी ने हमेशा डेयरी व्यवसाय में महिला सदस्यों की साझेदारी को सदैव ही प्रोत्साहित किया है और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को पार किया और इस प्रकार कुल पंजीकृत सदस्यों में से 32% महिला सदस्या की भागीदारी को प्राप्त किया है।

नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम दुग्ध उपार्जन (प्रोक्योरमेंट) की मूलभूत संरचना को और मजबूत बनाये और सूचना तकनीकी प्रणाली पर आधारित दूध की खरीद और लेन–देन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएं।

कम्पनी का पॉली पैक दूध और दुग्ध उत्पाद निरन्तर रूप से इसके वितरण क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे है। नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश के साथ, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों के विक्रय एवं विपणन संरचना को मजबूत करते हुये वितरण क्षेत्र के विस्तार का लक्ष्य रखती है। पॉली पैक दूध, छाछ, दही और घी जैसे बेहतर उत्पाद श्रेणी के साथ कम्पनी अपने वितरण क्षेत्र की लोकप्रिय ब्राण्डों में से एक बनने के मार्ग पर अग्रसर है, कम्पनी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के दृढ़ संकल्प के साथ, अपने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, कम कीमतों पर उपलब्ध कराने और नए वितरण क्षेत्र में उद्यम करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ।

हम हमेशा सुझावों और मार्गदर्शन का स्वागत करते है।

आपका विश्वसनीय
ह./–
दिग्विजय सिंह
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 06963747

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निदेशकों की पाँचवी रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च 2019 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कम्पनी के संचालन सम्बन्धी पाँचवी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

रू. करोड़ में

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आय	841.85	773.19
खर्च सहित कुल लागत	820.87	754.45
कर से पूर्व लाभ/हानि	20.98	18.74
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	8.00	7.21
(2) स्थगित कर	(0.51)	(0.62)
कुल कर खर्च	7.49	6.59
लाभ / (हानि) कर के बाद	13.49	12.15

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 841.85 करोड़ के कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम्पनी का राजस्व 9% की बढ़ोत्तरी के साथ रू 841.85 करोड़ दर्ज हुआ है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रू 773.19 करोड़ था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू 754.45 करोड़ थी तथा इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू 820.87 करोड़ है। कर पूर्व लाभ रूपये 20.98 करोड़ का है तथा कर के बाद लाभ रूपये 13.49 करोड़ का है। अंश जिसका अंकित मूल्य रू. 100 है, उसकी प्रति अंश आय रूपये 71.49 है जो कि कुल पूँजी रू 23.03 करोड़ के आधार पर है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड) :

दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने अपने सदस्यों को अंश पूँजी पर हर साल लाभांश की घोषणा के साथ–साथ, वितरण भी किया है। कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुये, 1 अगस्त 2019 को आयोजित

बोर्ड बैठक में रूपये 8/– प्रति अंश, रूपये 23.03 करोड़ की अंश पूँजी पर लाभांश का सुझाव दिया गया। सदस्यों की मंजूरी के अधीन, छठी वार्षिक आम सभा में 31 मार्च 2019 तक अंकित सदस्यों को लाभांश दिया जायेगा।

रूपये 8/– प्रति सामान्य अंश पर वित्तीय वर्ष में रूपये 2.22 करोड़ का लाभांश वितरण करने की घोषणा की है जिसमें रूपये 0.38 करोड़ का सीमित लाभांश कर सम्मिलित है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण :

कम्पनी अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के तहत, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के कर के बाद शुद्ध लाभ में रू. 11.27 करोड़ की राशि को सामान्य संचय में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव रखा है।

संचालन सिंहावलोकन :

दुग्ध उपार्जन :

कम्पनी ने 12 दिसंबर, 2014 से उत्तर प्रदेश के दस जिलों में 1,855 मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) के साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरूआत की थी। साढ़े चार साल की अवधि में, कम्पनी का परिचालन उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 3,455 मिल्क पूलिंग पॉइंट्स में फैल गया है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने अपने सदस्यों से प्रतिदिन औसतन 5.94 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की है और कम्पनी ने उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दूध की मात्र का 100% भुगतान प्रत्येक 10 दिनों में बैंक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते मे किया गया है।

कम्पनी अपने सदस्यों को लगातार प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य का भुगतान करती रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने सदस्यों को प्रतियोगियों की तुलना में अधिकतम कीमत दी है।

कम्पनी द्वारा सभी एमपीपी, बीएमसी और एमसीसी को जीपीआरएस (GPRS) सिस्टम के माध्यम से जोड़ दिया गया हैं। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता रखने के लिए, कम्पनी अपने सदस्यों को अपना दूध डालने के पश्चात रीयल टाइम एसएमएस भेज रही है, जिसमें उन्हें डाले गए दूध की मात्रा, वसा और एसएनएफ, दर और राशि (रूपये में) का विवरण मिलता है।

भविष्य का लक्ष्य :

आगे आने वाले समय में, कम्पनी की सम्पूर्ण वर्ष सदस्यता को खुला रखते हुए 35,000 नए सदस्यों को भर्ती करने की योजना है और वित्त वर्ष 2019–20 में अपने सदस्यों से औसतन 6.31 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध खरीदने का लक्ष्य है। कम्पनी आने वाले वर्षों में सभी एमपीपी में अधिकतम एमएएच कवरेज को कवर करेगी। इसके अलावा, कम्पनी उत्तर प्रदेश के बारह जिलों, राजस्थान के एक जिले और इसके साथ–साथ इन जिलों के आस–पास के कुछ गाँवों में मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्राईवेट लिमिटेड के मौजूदा परिचालित दुग्ध उपार्जन समूह (MPGs) को कवर करके चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रही है। इस तरह के विस्तार से कम्पनी को अपना कारोबार बढ़ाने में और दुग्ध उपार्जन में सहायता मिलेगी। आने वाले समय में, यह योजना, कम्पनी को अधिक दुग्ध उत्पादकों तक पहुँचने में और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में भी सहायता करेगी।

बिक्री एवं विपणन :

''सहज'' दूध और दूध उत्पादों को वर्ष 2016 में बाजार में उतारा गया था। शुरुआत से ही कंपनी को अपने दूध और दूध उत्पादों के लिए अपने ग्राहकों और हितधारकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कंपनी ने आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद के शहरों में 5 सुपरस्टॉकिस्ट, 40 वितरकों और लगभग 1,200 खुदरा विक्रेताओं के साथ एक मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की औसतन पॉलीपैक दूध की बिक्री 7,330 लीटर प्रतिदिन, छाछ 1,075 लीटर प्रतिदिन और दही 52 किलोग्राम प्रतिदिन की मात्रा तक पहुंच गयी। घी की बिक्री 163 मैट्रिक टन तक पहुँच गई। इसके अलावा, कंपनी ने अपने ब्रांड ''चाय स्पेशल'' के तहत 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम जोकि होमोजिनाईज्ड टोंड दूध से बने है और ''दही मटकी'' के तहत 5 किलोग्राम, जोकि स्किमड से बनी है, के 3 नए एसकेयू जोड़े हैं।

ब्रांडिंग :

ब्रांडिंग को मजबूत करने और "सहज" के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए, कम्पनी ने वॉल पेटिंग, ऑटो बैक बैनर्स, रिटेलर नॉन–लिट साइनेज बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स के माध्यम से एक आक्रामक ब्रांडिंग की।

भविष्य का लक्ष्य :

अपने मौजुदा बाजारों के अलावा, कम्पनी ने नए बाजारों में प्रवेश किया है, जैसे बुलंदशहर, भरतपुर और गाजियाबाद। आने वाले समय में कम्पनी की योजना बरेली, शाहजहाँपुर, बिजनौर, रूद्रपुर और हल्द्वानी जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाने की है। कंपनी भविष्य में इन बाजारों से अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आश्वस्त हैं क्योंकि ये बहुत ही माँग वाले बाजार हैं और एक तरह की गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ कंपनी के पास इन बाजारों में एक मजबूत बिक्री नेटवर्क विकसित करने के अच्छे अवसर है।

दूध एवं दूग्ध उत्पाद :

कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित एसकेयू में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता प्रदान कर रही है।

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियाँ
गोल्ड	फुल क्रीम	6% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
ताजा	टोन्ड दूध	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
फिट एन फाईन	होमोजिनाईज्ड डबल टोन्ड दूध	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 200 मि.ली.
स्लिम एण्ड स्मार्ट	स्किम्ड दूध	0.5% वसा/8.8% वसा रहित ठोस	340 मि.ली. तथा 170 मि.ली.
चाय स्पेशल	होमोजिनाईज्ड टोन्ड दूध	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 250 मि.ली.

फर्मेटेड प्रोडक्ट्स :

छाछ (बीएम) : सहज छाछ स्वादपूर्ण होने के साथ–साथ पाचन में भी मदद करता है। यह स्वादिष्ट भोजन बनाने में बहुत उपयोगी है। यह 500 मिली पैक के आकार में उपलब्ध है।

दही : सहज दही ताजा, स्वास्थ्यवर्धक है और घर जैसा बना लगता है। यह गाढ़ा और मलाईदार है। इसका उपयोग स्वादिष्ट रायता, कढ़ी और लस्सी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह 200 ग्राम और 400 ग्राम उपभोक्ता पैक में उपलब्ध है। 5 किलोग्राम थोक पैक में, कंपनी के पास 2 प्रकार के उत्पाद हैं जो टोन्ड और स्किम्ड दूध से तैयार किए गए है।

घी : सहज घी ताजा होने के साथ–साथ दानेदार भी है। इसमें ब्रज भूमि की प्राकृतिक सुगंध है। यह 1 लीटर के सीका पैक में उपलब्ध है और 15 किलोग्राम टिन में भी उपलब्ध है। शहरी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विपणन किया जा रहा है।

सहज ब्राण्ड के अन्तर्गत अन्य उत्पाद :

पशु आहार ''सहज सुदाना''

वर्ष के दौरान कंपनी अपने **''सहज सुदाना''** ब्राण्ड के अन्तर्गत प्रतिर्स्पधात्मक मूल्य पर संतुलित पशु आहार बी.आई.एस.–II उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने वर्ष 2018–19 में 10,891.2 मैट्रिक टन सहज सुदाना की बिक्री की है। इस प्रकार गत वर्ष की विक्रय की तुलना में 98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण ''सहज मिन''

कम्पनी ने प्रतिस्पर्धा मूल्य पर अपने दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को ''सहज मिन'' ब्राण्ड के अन्तर्गत चिलेटेड क्षेत्र विशेष (पश्चिम–उ.प्र.) खनिज मिश्रण को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 124.82 मैट्रिक टन सहज मिन की बिक्री की है। इस प्रकार यह गत वर्ष की विक्रय की तुलना में 86% की वृद्धि दर्ज की है।

उत्पादक संस्थान निर्माण :

अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को जोड़ने के लिये, दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के 10 परिचालित जिलों में कम्पनी के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 35,000 दुग्ध उत्पादक किसानों ने हिस्सा लिया एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से उनके कार्य, जिम्मेदारियाँ एवं डेयरी क्षेत्र में उनकी सहभागिता और कम्पनी संचालन एवं अभिशासन विषय पर जागरूक किया गया।

दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने ग्राम स्तर पर 8,418 सदस्यों को 2,767 एम.पी.पी. में ग्राम सम्पर्क समूह के रूप में चयनित किया तथा दुग्ध मार्ग स्तर पर 2,767 सदस्यों को सदस्य सम्बन्ध समूह के रूप में चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त 3,060 ग्रामीण युवकों को ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम के तहत डेयरी व्यवसाय के महत्व एवं आजीविका के रूप में अपनाने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण स्कूल के कुल 4,180 विद्यार्थियों को ''स्कूली बच्चों के लिये जागरूकता

कार्यक्रम'' के तहत डेयरी क्षेत्र की जानकारी दी गई तथा साथ ही दूध एवं दुग्ध उत्पादन के महत्व के प्रति विशेष रूप से जागृत किया गया और कम्पनी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

निदेशक मण्डल के उन्मुखीकरण के लिए बोर्ड के सदस्यों ने गुजरात में माही मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लि. का दौरा किया गया जहाँ कि बोर्ड को माही एमपीसीएल के संचालन के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा बोर्ड ने माही एमपीसीएल के कैटल फीड प्लांट और मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के जूनागढ़ प्लांट का भी दौरा किया।

उप–परियोजना :

कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत तीन उप–परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

1. ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन पद्धति (वीबीएमपीएस)
2. आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी)
3. कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिये पायलेट मॉडल (एआई)

कंपनी एण्ड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी (ईआईए) है, जो उत्तर प्रदेश के दस एमपीसी परिचालन जिलों वाले परियोजना क्षेत्र में उपर्युक्त उप परियोजना योजनाओं के तहत अपने कार्यों को कार्यान्वित कर रही है।

इन एस.एस.पी. को 31 मार्च, 2019 तक एन.डी.पी.–1 के तहत सहायता के साथ एन.डी.बी.बी. में पी. एम.यू. (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, कंपनी इन परियोजनाओं को स्व–वहनीय आधार पर जारी रखेगी।

ग्राम–आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (VBMPS) :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने अपने सदस्यों से प्रतिदिन औसतन 5.94 लाख किलोग्राम दूध एकत्रित किया है। ग्राम–आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली के तहत, कुल 3,455 मिल्क पूलिंग प्लाइंट को कवर किया गया है, कुल नामांकित सदस्य 1,71,275 पर पहुंचे, जिसमें नामांकित महिला सदस्य 54,567 (32%) और नामांकित छोटे धारक 1,15,397 (67%) थे।

वर्ष के दौरान कंपनी ने दूध उत्पादकों को जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छ दूध उत्पादन पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूरूषों और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन, टीम बिल्डिंग, नेतृत्व कार्यक्रम और अन्य विभिन्न प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए।

आहार संतुलन कार्यक्रम (आर.बी.पी.) :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान के घर पर पशु पोषण पर सलाह दी जा रही है। जिसमें कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा दुधारू पशु के विकास, शरीर का रखरखाव, प्रजनन और दुग्ध उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए किसानों को पशु के इष्टतम भोजन पर शिक्षित करके आर.बी.पी. सलाहकार सेवायें दी जाती है। कम्पनी द्वारा उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए किसान सभाओं का आयोजन किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 664 गाँवों में आरबीपी सेवाऐं प्रदान की हैं और 8,224 दूधारू पशुओं के पंजीकरण को कवर किया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20, कंपनी का लक्ष्य पशु चारा और विशिष्ट खनिज मिश्रण की खपत को बढ़ाने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र में 100% कवरेज पर जोर देना है। इसके अलावा, डीडीएफ (डेयरी डेमोस्ट्रेशन फार्म) को मजबूत करने के लिए कंपनी ने डीडीएफ के तहत आधुनिक कृषि प्रथाओं के अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य आरबीपी कार्यक्रम के तहत नए जानवरों को कवर करने के लिए जन विस्तार अभियान का संचालन करना है।

व्यवहारिक कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिए पायलेट मॉडल :

कम्पनी इस परियोजना के अन्तर्गत देश में उपलब्ध उच्च आनुवांशिकी का उपयोग करते हुए उत्पादक के घर तक गुणवत्ता वाली ए.आई. सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ी/बछड़ों का उत्पादन करना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 4,950 गाँव में 600 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के द्वारा 3,68,398 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाया, (51% गर्भाधान दर प्रथम कृत्रिम गर्भाधान के अनुसरण के आधार पर)।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में, कंपनी का लक्ष्य 4.31 लाख एआई और 86,061 बछड़ों का पंजीकरण करना है और एनडीडीबी की मदद से मैसटाइटिस कंट्रोल पॉपुलेशन प्रोग्राम (MCPP) को लागू करके मवेशियों और भैंसों में मैसटाइटिस के उन्मूलन की पहल करना है।

गुणवत्ता :

कम्पनी सप्लाई चेन के दौरान गुणवत्ता प्रदान करती है। सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान कठोर प्रक्रियाओं एवं विश्लेषण तकनीक का पालन किया जाता है जिसमें कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की भौतिक रासायनिक और सूक्ष्म जैविक जाँच भी शामिल है। उपार्जन के स्तर पर कच्चे दूध की गुणवत्ता

को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने अपने सर्वेक्षण प्रणाली को तकनीक के इस्तेमाल से हर स्तर पर मजबूत बनाया है। कंपनी ने ''गुणवत्ता मॉड्यूल'' नाम से अपनी अनूठी गुणवत्ता निगरानी प्रणाली विकसित की है।

हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दूध की रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता की जाँच करने के साथ ही किसी भी प्रकार की मिलावट की जाँच करने हेतु पूर्ण रूप से विकसित एवं सुसज्जित है। कम्पनी ने अपने सभी अवशीतन केन्द्रों पर अत्याधुनिक एवं उच्च विश्लेषणात्मक उपकरण जैसे कि सोडियम मीटर, वोरटैक्स शेकर्स, डिजीटल बी.आर.मीटर, दुग्ध विश्लेषक, आर.एम.परीक्षण सुविधा, रैमी सेट्रीफ्यूज की सुविधा उपलब्ध करायी है।

गत वित्तीय वर्ष कंपनी ने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला प्रभारियों, कैमिस्टो, गुणवत्ता कर्मियों और एम.सी.सी.प्रभारियों को अनेक प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम उन्हें दुग्ध परीक्षण प्रक्रियाओं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानदंडों, FosTac, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली, स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देते है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने एक मजबूत गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया हुआ है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, कंपनी एफएसएसएआई (FSSAI) के दिशा निर्देशों के अनुसार विटामिन ए और डी के साथ दूध के फोर्टिफिकेशन की परियोजना को लागू करने के लिए एनडीडीबी के साथ एक सामाजिक मिशन में शामिल हो गई है।

निदेशक :

श्री महेश चन्द्र, श्रीमती अखिलेश और श्रीमती सुनीता 13 दिसम्बर, 2018 को कम्पनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुये थे। श्री ऋषिराज सिंह, मुख्य कार्यकारी व निदेशक के कार्यालय का कार्यकाल दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त हो गया था। निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी प्रशंसा करता है।

श्री राजकुमार शर्मा, श्री उपेन्द्र सिंह और श्री रवि कुमार दीपक को 13 सितम्बर, 2018 से कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री बसन्त चौधरी को 1 दिसम्बर, 2018 को कंपनी के मुख्य कार्यकारी व निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री श्रीराम सिंह को 16 दिसम्बर, 2018 से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद पर दो साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के लेन–देन के लिए समय–समय पर बोर्ड की बैठक होती है और गतवर्ष के दौरान चार बोर्ड की बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गयी:

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
20 वीं बोर्ड बैठक	26 जून, 2018	14	14
21 वीं बोर्ड बैठक	10 अगस्त, 2018	14	12
22 वीं बोर्ड बैठक	12 नवम्बर, 2018	14	13
23 वीं बोर्ड बैठक	8 मार्च, 2019	14	13

निदेशक मण्डल की संरचना और निदेशकों की नियुक्ति :

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सके सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये है। तीन विभिन्न वर्गों, श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में सरंक्षण के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में जो 11.12.2014 को हुई थी में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, यह पाया गया है कि श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी के सदस्यों के बीच क्रमशः 68.30%, 15.75%, 15.95% थे। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी–ए में 7, श्रेणी–बी में 2 तथा श्रेणी–सी में 2 निदेशक होते है। कम्पनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रकार से पूरा करती है :–

श्रेणी ए के निदेशक :

कम्पनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार कम्पनी के निदेशक श्री अनिल कुमार, जो ''श्रेणी ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और योग्य होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते है।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने श्री अनिल कुमार को पुन: नियुक्त एवंम् श्री योगेश कुमार जादौन और श्री हरेन्द्र पाल सिंह ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि को ''श्रेणी ए'' के रिक्त पद पर नियुक्त करने का सुझाव दिया है।

नियुक्त होने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का वर्णन कंपनी की छठवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र में संलग्न किया गया है।

श्रेणी–बी के निदेशक :

कंपनी के अर्न्तनियम 9.6 के अनुसार निदेशक श्री जवाहर लाल और श्री चन्द्र पाल सिंह, जो ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्ति होंगे। श्रेणी–बी के किसी भी निदेशक की नियुक्ति आगामी वार्षिक आम सभा में नहीं होगी।

श्रेणी–सी के निदेशक :

आगामी वार्षिक आम सभा में इस श्रेणी से किसी भी निदेशक की सेवानिवृत्ति नहीं होगी।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने श्री शिव कुमार शर्मा को जो ''श्रेणी सी'' के प्रतिनिधि है, ''श्रेणी सी'' में रिक्त पद पर नियुक्त करने का सुझाव दिया है। नियुक्त होने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का वर्णन कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा के सूचना–पत्र में संलग्न है।

कंपनी के अर्तनियमों के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार, कंपनी में ''श्रेणी–ए'' के 7, ''श्रेणी–बी'' के 2 एवं ''श्रेणी–सी'' के 2 निदेशक हो जायेंगे, यदि आगामी वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन होता है।

सदस्यता एवं अंश पूँजी :

31 मार्च, 2019 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी रूपये 23.03 करोड़ थी और 76,540 सदस्य थे, जिनका नाम कम्पनी के अंशधारकों के रजिस्टर में अंकित था।

31 मार्च, 2019 के पश्चात् कम्पनी में 22,842 नये सदस्यों को जोड़ा गया है और 13,920 सदस्यों की सदस्यता मानदंड़ों को पूरा न करने के कारण तथा सदस्यता के निरस्त/आत्मसमर्पण करने के कारण रद्द कर दी गई है। तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या 85,462 है।

सदस्यता रद्द करने के लिए, श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी से संबंधित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान सदस्यता को जारी रखने के लिए अपने–अपने वर्ग के सभी संरक्षण मानदंडों और शर्तों को पूरा करें।

वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार :

आज की दिनांक में 85,462 सदस्य में से,

– 19,504 सदस्यों (जिसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी एवं श्रेणी सी के सदस्य शामिल है) जिन्होंने सम्बन्धित वर्ग के संरक्षण के सभी मादण्डों को पूर्ण किया है उन्हें छठवीं वार्षिक साधारण आम सभा में सभी प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार है। (उनसे सम्बन्धित अपने श्रेणी के निदेशक का चुनाव पर मतदान सहित)।

– 10,241 सदस्य जिन्हें छठवीं वार्षिक साधारण आम सभा में सभी प्रस्तावों पर मतदान देने का अधिकार है (परन्तु सम्बन्धित श्रेणी के निदेशक के चुनाव पर मदान का अधिकार प्राप्त नहीं है) क्योंकि उन्होंने संरक्षण से सम्बन्धित मानदण्डों को पूर्ण नहीं किया है परन्तु गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कंपनी में न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति की है।

– 55,717 ऐसे सदस्य है जो छठी वार्षिक साधारण आम सभा में उपस्थिति होने के योग्य है, परन्तु जिन्हें छठी वार्षिक आम सभा में प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार नहीं है।

31 मार्च, 2019 के पश्चात् जोड़े गये सदस्यों को लाभांश के साथ–साथ छठी वार्षिक आम सभा में मतदान के हकदार भी नहीं होंगे।

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2019 के समाप्त होने के बाद कंपनी के व्यापार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

व्यवसाय के स्वरूप का बदलाव :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2AA) के अन्तर्गत कंपनी के निदेशक सदस्यों को यह सूचना

देते है :

क. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का अनुपालन भौतिक प्रस्ताव से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरन्तर लागू किया है जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2019 के अन्त में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ का सही एवं उचित विवरण प्रस्तुत करते है।

ग. कंपनी के निदेशकों द्वारा कंपनी की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने एवं बचत हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके रखरखाव में आवश्यक एवं उचित सावधानी बरती है।

घ. कम्पनी के निदेशकों द्वारा वार्षिक खातों को प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार करवाया है।

जमा :

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जमा से संबंधित विवरण के सम्बन्ध में कोई खुलासा या विवरण देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई जमा नहीं थे।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित जगह पर है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि कम्पनी में सभी परिसम्पत्तियों और लेन–देन को सही ढंग से संरक्षित, अधिकृत किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF के अंतर्गत, मैसर्स अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी को आंतरिक परीक्षकों के रूप में फिर से पुनः नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आतंरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और बहुसंख्य में लेन–देन का मूल्यांकन किया है।

लेखा परीक्षक :

कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउन्टेण्ट्स का कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के साथ खत्म हो जाएगा तथा योग्य होने पर पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है। कम्पनी के अंकेक्षकों से इस आशय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है कि यदि उनकी पुनः नियुक्ति होती है तो वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (1) के प्राविधानों के अनुसार होगी।

आपके निदेशक मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी आम सभा में नियुक्ति करने की अनुशंसा करते हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट :

अंशधारकों के लिए दी गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट व्याख्यात्मक है और इसमें कोई आरक्षण, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2A) को कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जाये, का अनुसरण करते हुए समीक्षाधीन अवधि में किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नहीं की है।

कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी.एस.आर.) :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXए के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर यथोचित रूप से लागू होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 निरस्त नहीं किया गया, जब तक उनके लिए एक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 नवम्बर, 2016 और 2 जून, 2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए कंपनी ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), नई दिल्ली के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल किया है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर सी.एस.आर. के प्रावधानों का अनुपालन प्रारम्भ किया जायेगा।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय एवं निकासी :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी की धाराओं के अनुसार (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के विवरण का स्पष्टीकरण) नियम 1988 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार जानकारी इस प्रकार है :–

(i) ऊर्जा प्रोद्योगिकी के संरक्षण से सम्बन्धित भाग ए और भाग बी के नियम अभी हमारी कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(ii) विदेशी विनिमय से आय तथा निकासी – आय, शून्य; निकासी – शून्य।

सामान्य कार्यालय और बिजली प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी की कोई बिजली खपत नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और वहां बनाए गए नियमों के तहत, आपकी कंपनी ने महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न नीति को अपनाया है ताकि किसी पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात और यौन उत्पीड़न के डर बिना उनके लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

आभार :

कंपनी का निदेशक मंडल इस अवधि में समीक्षा के दौरान अपने सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों के योगदान की सराहना व्यक्त करना चाहता है। साथ ही बैंक कर्मचारियों, वैधानिक व आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद करता है।

निदेशक मण्डल नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, डेयरी सर्विसेस, मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मण्डल
ह./–
दिग्विजय सिंह
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 06963747

दिनांक – 1 अगस्त, 2019
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय :

हमने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हुए और कम्पनी के साथ पढ़े गऐ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं (लेखा मानक) नियम 2006 के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति के अनुसार (लेखा मानक) और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है, जो समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं रोकड़ प्रवाह हेतु है।

राय के लिए आधार :

हमनें अधिनियम (SAs) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया। मानकों के तहत हमारे उत्तदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षण के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीयूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है, उसके अधीन बनाये, हमने इन आश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी राय ऑडिट पर आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी :

वित्तीय सूचनाओं के अतिरिक्त कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु असमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, हमारे उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अंकेक्षण है, या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी में यह प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से गलत होना है।

हमारे द्वारा किए गए विलेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना गलत प्रदर्शित की गई है, तो इस निष्कर्ष को प्रस्तुत करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन के उत्तरदायित्व :

कम्पनी का निदेशक मण्डल, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। (अधिनियम) इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में जो वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नगदी प्रवाह लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन और अभिलेखों का रख रखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रस्तुतीकरण के रूप में जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि लागू होने से सम्बन्धित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन अथवा कम्पनी को बन्द करने का निर्णय रखते हों। संचालन अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित स्थिति प्रस्तुत करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती हैं, का पता लगाएगा। इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित करने की

(SAs) के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भीः

वित्तीय विवरणों के तथ्यों में गलत विवरण के जोखिमों को प्रस्तुत कर उनका आंकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए अंकेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करें, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के पर्याप्त एवं उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, गलत बयानी या आन्तरिक नियन्त्रण की अपरलेखन भी सम्मिलित हो सकती है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के समझ प्राप्त करे, जो परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियन्त्रणों के परिचालन हेतु प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। प्रयोग की जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और सम्बन्धित परिणामों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

लेखा से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वित्तीय लेखों में अनिश्चितता परिलक्षित है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट से वित्तीय विवरणों में सम्बन्धित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना है। यदि इस प्रकार के खुलासे से किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों से कम्पनी के लिए एक सतर्क रहने वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है।

खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अर्न्तनिहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कम्पनी की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें कि हम ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है।

भौतिक एवं वित्तीय वक्तव्यों में व्यकिगत अथवा सामूहिक रूप से गलत बयानों का दुष्परिणाम है जिससे यह

(1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (2) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी गलत विवरण का मूल्यांकन करने के लिए। हम अन्य मामलों में अंकेक्षण की योजना, समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षो के साथ आन्तरिक नियन्त्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं।

हम उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतन्त्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

अ– हमने वे सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए गए हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ब– हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे है, जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गए परीक्षण से प्रकट होते हैं।

स– इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

द– हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

य– 31 मार्च 2019 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च 2019 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

र– कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में तथा इस प्रकार के नियन्त्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक "अ" को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

ल– अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों के

सम्बन्ध में संशोधित हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी एक निजी कम्पनी है जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है।

व– कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसारः

1. कम्पनी के विरूद्ध ऐसा कोई भी विवाद जारी नहीं है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो। वित्तीय विवरण के नोट 27 के क्रम में।

2. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियां हो।

3. कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

2 अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण "अनुलग्नक–ब" में दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थें जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमनें विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

कृते एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त, 2019

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–(अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 (एफ) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जो कि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लिखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जो कि नियमित रूप से कुशलता पूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन, कंपनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियमि 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख (''दिशा–निर्देश लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियन्त्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना, कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाऐं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हों।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रिया सम्मिलित हैं जो (1) लेखा के रख रखाव से सम्बन्धित है, उपर्युक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की सम्पत्तियों का निपटारा करती है। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं :–

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपर्युक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2019 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त, 2019

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के सम्बन्ध में :–

अ. कम्पनी की अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित अभिलेख बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी के नाम कोई भी भूमि व भवन नहीं है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(2) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(3) कम्पनी ने किसी भी कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(4) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(5) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुचछेद (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(6) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(7) वैधानिक देय के सम्बन्ध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सैस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2019 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सैस तथा वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से छः माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट, की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2019 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

(8) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की हैं। कम्पनी ने सरकार से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण–पत्र (डिबेन्चर) जारी किए हैं।

(9) हमारी राय के अनुसार, कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की गई है।

(10) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

(11) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

(12) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(13) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहाँ भी लागू हों, सम्बन्धित पक्षकारों के

सभी व्यवहारों तथा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरणों का स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जो कि लागू होने वाले मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(14) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(15) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी व्यवहार नहीं किए गये हैं। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(16) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IAके तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। है।

कृते एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त, 2019

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–(स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियां प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गयें स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियां नहीं है।

3. 31 मार्च, 2019 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार हैं।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

कृते एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त, 2019

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2019

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
A-	शेयर और देयताएं			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	23,03,28,700	18,56,65,000
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	37,41,30,271	25,71,17,254
			60,44,58,971	44,27,82,254
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन	36	1,50,08,600	2,61,000
	3. अस्थिगत अनुदान	5	12,47,77,508	14,54,93,244
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	8,82,46,151	8,96,48,528
	(b) दीर्घ अवधि समायोजन	7	1,05,26,290	1,17,84,146
			9,87,72,441	10,14,32,674
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	8	99,28,33,612	98,40,82,609
	(b) व्यापारिक देनदार	9		
	(i) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि		–	–
	(ii) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों के अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया राशि		30,41,64,161	33,31,59,673
	(C) अन्य तरल देयताएं	10	2,95,48,739	2,21,09,593
	(d) लघु अवधि प्रावधान	11	1,44,12,195	5,51,79,390
			1,34,09,58,707	1,39,45,31,264
B-	आस्तियां		2,18,39,76,227	2,08,45,00,437
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	12(a)	31,47,13,738	35,24,25,646
	(ii) अमूर्त संपत्ति	12(b)	84,29,571	1,87,45,525
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	13	98,24,229	46,86,180
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	14	2,13,32,722	2,31,53,774
			35,43,00,260	39,90,11,125
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	15	5,40,98,627	5,32,70,675
	(b) व्यापारिक देनदार	16	1,24,25,86,634	1,28,96,00,909
	(C) रोकड़ और रोकड़ समरूप	17	50,86,88,399	32,58,13,629
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	18	94,27,014	82,03,690
	(e) अन्य चल आस्तियां	19	1,48,75,293	86,00,410
			1,82,96,75,967	1,68,54,89,311
	कुल योग		2,18,39,76,227	2,08,45,00,437

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त 2019

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
दिग्विजय सिंह
निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 01 अगस्त 2019

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2019

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	20	8,38,39,81,817	7,71,15,83,065
2.	अन्य आय	21	3,44,90,934	2,02,72,612
3.	कुल आय (1+2)		**8,41,84,72,751**	**7,73,18,55,676**
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	22	7,61,21,34,074	7,04,84,19,593
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	23	20,86,448	(1,31,74,709)
	(C) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	24	6,72,81,939	5,98,30,377
	(d) व्यावसायिक लागत	25	7,45,07,509	7,55,00,667
	(e) ह्रास खर्च	12	5,92,24,636	5,80,96,059
	(f) अन्य खर्चे	26	39,34,56,858	31,57,87,868
	कुल खर्चे		**8,20,86,91,464**	**7,54,44,59,854**
5.	कर से पूर्व आय (3–4)		20,97,81,287	18,73,95,822
6.	कर सम्बन्धी खर्चे			
	(a) वर्तमान कर		8,00,00,000	7,21,00,000
	(b) स्थगित कर (कुल)		(51,38,049)	(61,87,368)
	कुल कर खर्चे		7,48,61,951	6,59,12,632
7.	सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5–6)		**13,49,19,336**	**12,14,83,190**
8.	प्रति अंश आय	30		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		71.54	76.29
	(b) डायलूटेड		71.52	76.17

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
दिग्विजय सिंह
निदेशक

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त 2019

स्थान : आगरा
दिनांक : 01 अगस्त 2019

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
A.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर से पूर्व लाभ	20,97,81,287	18,73,95,822
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(2,83,42,730)	(1,73,25,355)
	व्यावसायिक लागत	7,45,07,509	7,54,63,462
	कर्मचारी हित खर्चे	(9,32,321)	32,41,209
	ह्रास खर्च	–	–
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5,92,24,636	5,80,96,059
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**31,42,38,381**	**30,68,71,197**
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(8,27,952)	(84,46,598)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	4,70,14,275	(38,16,53,056)
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	10,93,132	(1,75,000)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(12,23,325)	1,56,98,846
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	(14,02,377)	45,42,419
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(2,89,95,512)	10,58,06,864
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	69,51,689	29,71,587
	कुल आयकर भुगतान	**33,68,48,311**	**4,56,16,261**
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(12,33,74,565)	(2,11,23,884)
		21,34,73,747	**2,44,92,377**
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	(17,70,35,797)	(3,96,86,822)
	अचल आस्तियों की खरीद	(3,15,08,951)	(2,27,33,672)
	ब्याज प्राप्ति	2,20,67,847	1,74,64,730
	निवेश में व्यय कुल रोकड	**(18,64,76,901)**	**(4,49,55,764)**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	4,44,02,700	2,43,06,200
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	1,50,08,600	2,61,000
	लम्बे समय तक उधारी से प्राप्त आय	–	(17,27,37,000)
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	87,51,003	11,59,04,966
	लाभांश कर सहित भुगतान	(1,77,79,633)	(1,41,51,231)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(7,15,40,543)	(7,24,11,459)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	**(2,11,57,872)**	**(11,88,27,525)**
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**58,38,973**	**(13,92,90,912)**
	वर्ष के शुरू में रोकड़	2,69,90,073	16,62,80,985
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	**3,28,29,046**	**2,69,90,073**
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	3,28,29,046	2,69,90,073
	कुल रोकड़ प्रवाह	3,28,29,046	2,69,90,073
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप में नही माना बैंक बैलेंस	47,58,59, 353	29,88,23,556
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	**50,86,88,399**	**32,58,13,629**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 01 अगस्त 2019

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
दिग्विजय सिंह
निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 01 अगस्त 2019

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(अ) लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 से सम्बंधित लागू होने वाले प्रावधानों में दिए गए लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गए हैं। एम. सी. ए. निर्देश के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू रहेंगे। कम्पनी के वित्तीय विवरण, विवरण उपचय लेखांकन के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गए हैं। कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरण लेखांकन नियमावली के अनुसार उसी क्रम में तैयार किये गये हैं, जैसे विगत वर्षों में तैयार किये गये है।

(ब) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(द) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(य) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(र) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(ल) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे सम्पत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(ब) **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य**

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

ह्रॉस एवं ऋणमृक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15	–
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	–
कार्यालय उपकरण	10	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्तिथि में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	31 मार्च, 2018 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	30,00,000	30,00,00,000	2,000,000	200,000,000
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	23,03,287	23,03,28,700	18,56,650	1856,65,000

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :–

नोट्स :–

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	18,56,650	18,56,65,000	15,33,391	1533,39,100
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	4,46,637	4,46,63,700	3,23,259	323,25,900
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	23,03,287	23,03,28,700	18,56,650	1856,65,000

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	23,92,10,935	1356,34,064
	जोड़ें लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	11,23,54,352	10,35,76,871
	अंतिम शेष	35,15,65,287	23,92,10,935
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	प्रारम्भिक शेष	1,79,06,319	147,64,427
	अवधि का लाभ	13,49,19,336	12,14,83,190
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (रू. 8 प्रति अंश)	1,48,53,200	122,67,130
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल पर कर	30,53,119	24,97,298
	(iii) सामान्य संचय में अंतरित	11,23,54,352	10,35,76,871
	अंतिम शेष	2,25,64,984	1,79,06,319
	योग (a+b)	**37,41,30,271**	**25,71,17,254**

Note 5 : आस्थगित अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	14,54,93,244	1902,29,696
	पूँजी अनुदान वर्ष के दौरान उपयोग (नोट 33 देखें)	2,97,92,540	84,92,156
	घटाये : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया	5,05,08,276	532,28,607
	अन्तिम रहतिया	**12,47,77,508**	**1454,93,244**

Note 6 : अन्य दीर्घकालिक देयताऐं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	8,82,46,151	8,96,48,528
		8,82,46,151	**8,96,48,528**

Note 7 : दीर्घकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	1,05,26,290	117,84,146
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	–	–
		1,05,26,290	**117,84,146**

Note 8 : लघु अवधि की उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	**असुरक्षित बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा**	99,28,33,612	9840,82,609
		99,28,33,612	**9840,82,609**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 9 : व्यावसायिक देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	व्यावसायिक देनदारियां (स्वीकृतियो को छोड़कर) (See Note 35)	30,41,64,161	3331,59,673
		30,41,64,161	3331,59,673

Note 10 : अन्य चालू दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	1,04,28,868	100,68,097
(b)	धन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त किया प्रतिभूति और वापसी के लिए कारण	5,39,800	24,56,450
(c)	लावारिस/अवैतनिक लाभांश	20,48,412	19,21,726
(d)	वैधानिक देय	34,48,313	46,38,090
(e)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 31 देखें) प्राप्त	1,30,36,015	29,17,188
(f)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	47,331	1,08,042
		2,95,48,739	221,09,593

Note 11 : अल्पकालीन प्रावधान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	22,84,856	19,59,321
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	1,21,27,339	5,32,20,069
(b).	आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर : 6,90,48,468/– पिछले वर्ष – 2,16,20,976/–)	1,44,12,195	5,51,79,390

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 13 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	44,76,727	48,02,517
	b. खाता पुस्तकों एवं सम्पत्ति, प्लान्ट उपकरणों पर कर	50,45,483	–
	के मध्य अन्तर	1,20,564	1,20,564
	c. आयकर की धारा 35D के अन्तर्गत अस्वीकृत	1,81,455	1,81,455
	d. संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधा	–	–
	e. अप्रयुक्त राजस्व अनुदान	–	10,19,382
		98,24,229	61,23,918
(ii).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का भाग हैं	–	14,37,738
	a. अचल सम्पत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेष में अंतर पर	–	14,37,738
शुद्ध स्थगित कर संपत्ति		98,24,229	46,86,180

Note 14 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
असुरक्षित एवं उचित माने गये			
(a)	पूंजी अग्रिम	–	4,03,560
(b)	जमा प्राप्तियाँ	22,11,221	33,04,353
(c)	एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)	1,91,21,501	1,94,45,861
		2,13,32,722	2,31,53,774

Note 15 : स्टॉक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर)			
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	1,76,55,482	1,24,65,686
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	3,03,04,523	3,23,47,402
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	18,91,102	71,24,466
	(iv) अन्य उपभोग्य	42,47,520	13,33,120
		5,40,98,627	5,32,70,676

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 16 : व्यवसायिक लेनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(असुरक्षित एवं उचित माने गए)			
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	–	–
	अच्छा माना जाता है	5,19,273	519,273
	संदिग्ध माना जाता है	5,19,273	519,273
		5,19,273	519,273
	घटायें –	–	–
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	1,24,25,86,634	1,28,96,00,909
(b)	अन्य	1,24,25,86,634	1,28,96,00,909

Note 17: रोकड़ तथा रोकड़ समान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह	3,28,29,046	2,69,90,073
	विवरण AS-3 के अनुसार	3,28,29,046	2,69,90,073
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह अधिक	47,38,10,941	29,69,01,830
	(ii) निर्धारित खाते में		
	अवैतनिक लाभांश खातों में	20,48,412	19,21,726
		50,86,88,399	32,58,13,629

Note 18 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(असुरक्षित एवं उचित माने गये)			
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	33,94,334	48,88,106
(b)	पूर्वदत्त व्यय	35,33,260	16,21,866
(c)	ऋण और कर्मचारियों को अग्रिम	–	5,273
(d)	ग्रैच्युटी फंड (देयता की रकम : 50,03,743/–)		
	पिछले वर्ष की रकम : 35,29,428/– रूपये	24,99,420	16,88,444
		94,27,014	82,03,690

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 19 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(असुरक्षित एवं उचित माने गए)			
(a)	ब्याज अर्जिक किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	1,48,75,293	86,00,410
		1,48,75,293	86,00,410

Note 20 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	8,38,39,81,817	7,71,15,83,065
		8,38,39,81,817	7,71,15,83,065

विक्रय किये गए उत्पाद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(i)	व्यावसायिक माल		
	a) कच्चा दूध	8,03,84,72,819	7,46,00,09,867
	b) पॉलीपैक दूध	5,53,15,791	6,99,38,808
	c) दूध के उत्पाद	7,64,24,262	6,63,70,035
	d) पशु आहार	18,96,42,185	9,37,24,324
	e) वीर्य	2,41,26,760	2,15,40,030
		8,38,39,81,817	7,71,15,83,065

Note 21 : अन्य आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	2,83,42,730	1,73,25,355
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	26,21,699	11,03,886
	(iii) देयता जो लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	31,30,021	–
	(ii) विविध आय	3,96,484	18,43,370
		3,44,90,934	2,02,72,612

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 22 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	7,32,09,17,983	6,82,60,79,833
(b)	पॉली पैक दूध	6,64,24,085	7,97,06,060
(c)	दूध उत्पाद	5,70,36,940	5,58,72,111
(d)	पशु आहार	16,05,90,525	8,17,28,673
(e)	वीर्य	71,64,541	50,32,916
		7,61,21,34,074	7,04,84,19,593

Note 23 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 समाप्त अवधि पर
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	5,19,37,555	3,87,62,845
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	4,98,51,107	5,19,37,555
(c)	रहतिया में शुद्ध वृद्धि	20,86,448	(1,31,74,709)

Note 24 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 समाप्त अवधि पर
(a)	वेतन एवं मजदूरी	5,96,92,144	5,33,04,668
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान	51,26,209	47,49,983
(c)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	24,63,586	17,75,726
		6,72,81,939	5,98,30,377

Note 25 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	अवधि ऋण		
(i)	अवधि ऋण	–	99,47,969
(ii)	बिल डिस्काउंटिंग	7,19,01,314	6,27,74,448
(b)	सेवा कर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	–	37,205
(c)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	26,06,195	27,41,044
		7,45,07,509	7,55,00,667

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 26 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	3,57,85,884	2,72,78,960
(b)	पावर एवं फ्यूल	13,44,430	16,89,508
(c)	किराया	1,44,76,085	141,43,187
(d)	दर तथा कर	29,471	3,97,793
(e)	मरम्मत एवं रखरखाव – भवन	5,000	1,749
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	2,50,32,780	2,20,14,561
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	96,83,988	38,65,871
(h)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	41,88,334	17,95,791
(i)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण व्यय	17,41,25,069	13,58,00,464
(j)	बीमा व्यय	31,80,601	27,92,183
(k)	कानूनी और सलाहकारों का पारिश्रमिक	2,17,19,133	2,03,34,037
(l)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	14,53,259	13,23,202
(m)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	1,19,95,490	52,77,432
(n)	मजदूरी व्यय	6,70,59,014	5,50,87,245
(o)	सम्प्रेषण व्यय	1,55,39,447	1,71,47,415
(p)	विविध व्यय	78,38,873	68,38,770
		39,34,56,858	31,57,87,868

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	10,00,000	9,40,000
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	2,00,000	1,65,000
(c)	कर्मचारियों द्वारा किया गया खर्चा	31,575	16,358
(d)	उपरोक्त कर सेवाकर	2,21,684	2,01,844
		14,53,259	13,23,202

Note 27 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां (i) FSSAI के मामले	13,60,000	8,00,000
(b)	प्रतिबद्धताएं शेष ठेके की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर क्रियान्वित करने के लिए प्रदान नहीं की (रूपये का भुगतान किया अग्रिमों का शुद्ध 0/– पिछले वर्ष रूपये 403,560/–)	–	6,05,340

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 28 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी योगदान योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू0 41,07,584/– (पिछले वर्ष 36,54,650 रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	35,29,428	21,63,184
	ब्याज लागत	2,71,766	1,63,320
	वर्तमान सेवा लागत	14,10,618	13,35,871
	लाभ का भुगतान	–	–
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	(2,08,069)	(1,32,947)
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	50,03,743	35,29,428

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	52,17,872	27,73,993
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	4,93,680	3,10,769
	अंशदान	18,29,601	21,72,984
	लाभ का भुगतान	–	–
	निकासी	–	–
	प्लान परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	–	–
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	(37,990)	(39,874)
		75,03,163	52,17,872
(iii)	**योजना संपत्ति की वापसी**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	4,93,680	3,10,769
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	52,17,872	27,73,993
	योजना संपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	57,11,552	30,84,762

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
(iv)	**आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना	50,03,743	35,29,428
	सम्पत्तियों का उचित मूल्य	75,03,163	52,17,872
	आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	(24,99,420)	(16,88,444)

(v) : लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	14,10,618	13,35,871
	ब्याज लागत	2,71,766	1,63,320
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(4,93,680)	(3,10,769)
	व्यय लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त	(1,70,079)	(93,073)
	लाभ/हानि में स्वीकृत व्यय	10,18,625	10,95,349

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(vi) : चिट्ठे का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	(16,88,444)	(6,10,809)
	उपरोक्तानुसार व्यय	10,18,625	10,95,349
	योगदान	18,29,601	21,72,984
	लाभ का भुगतान	–	–
	निकासी	–	–
	वर्ष के अन्त में देयता (संपत्ति)	(24,99,420)	(16,88,444)

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	छूट की दर	7.70% प्रतिवर्ष	7.55% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	8.05% प्रतिवर्ष	8.05% प्रतिवर्ष
	संघर्षण दर	14.00% प्रतिवर्ष	14.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	22.41 वर्ष	23.53 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

(viii) : अनुभव समायोजन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	50,03,743	35,29,428	21,63,184	8,51,968	2,32,146
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	75,03,163	52,17,872	27,73,993	–	–
	पोषित स्थिति	(24,99,420)	(16,88,444)	(6,10,809)	8,51,968	2,32,146
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	2,08,069	1,32,947	(1,11,343)	(86,649)	–
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	(37,990)	–	–	–	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ix) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.70% प्रतिवर्ष	7.55% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	–	–
	संघर्षण दर	14.00% प्रतिवर्ष	14.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	22.41 वर्ष	23.53 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

Note 29 : लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टा 9 साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्चे रू.1,46,76,085/– (पिछले वर्ष रू. 1,41,43,187/– जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

एक वर्ष बाद देय नहीं	46,77,321	45,22,711
एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	1,75,93,272	1,94,79,228
पाँच वर्ष बाद देय	57,50,283	75,19,863
	2,80,20,876	3,15,21,801

Note 30 : प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	13,49,19,336	12,14,83,190
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या	18,86,018	15,92,350
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये	71.54	76.29
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या	18,86,429	15,94,960
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	71.52	76.17

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 31 : सरकारी अनुदान का विवरण (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	अनुदान का विवरण एन.डी.डी.बी. और एन.डी.डी.बी.–डेयरी सेवाएं और इसके उपयोग से प्राप्त इस प्रकार है:		
	(a) प्रारम्भिक शेष	29,17,188	(68,73,315)
	(b) वर्ष के दौरान प्राप्त	19,11,36,038	18,15,18,416
		19,40,53,226	7,46,45,101
	(c) पूँजी पर सम्पत्ति के लिये		
	(अ) पूँजीगत सम्पत्ति		
	अचल सम्पत्ति	2,97,92,540	(68,73,315)
	(ब) राजस्व खर्च के लिए कुल इस्तेमाल किया गया	15,12,24,672	16,32,35,757
	(i) + (ii)	**18,10,17,211**	**17,17,27,913**
	(d) शेष (अ+ब+स)	1,30,36,015	29,17,188

Note :

पूँजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किये गये अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किये जाने वाले राजस्व अनुदान को संबन्धित व्यय के साथ हटा दिया गया है (Note 2K देखें)

Note 32 :

सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण :–

(a). सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person) सम्बन्ध
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	बसन्त चौधरी की प्रभावी नियुक्ति तिथि 1/12/2018 डॉ ऋषिराज सिंह की सेवानिवृत्ति 30/11/2018

(b). उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	(Rupees) KMP
प्रबंधक पारिश्रमिक	
बसन्त चौधरी	7,64,344
	(–)
डॉ ऋषिराज सिंह	39,57,150
	(34,88,156)

(ब्रैकेट में आँकड़ें पिछले वर्ष संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते है)

Note 33 :

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी रही बकाया नहीं है।

Note 34 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 35 :

गतवर्ष 31 मार्च, 2019 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 01 अगस्त, 2019 को हुयी थी जिसमें लाभांश रूपये 8 प्रति शेयर, शेयर धारकों को साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर का पूर्ण भुगतान किया हुआ है। कुल लाभांश रूपये 1,84,26,296 है और उस पर कर रूपये 37,87,579 है।

Note 36 :

कम्पनी ने अंश आवेदन धनराशि के रूप में रू. 1,50,08,600/– प्राप्त किये है। जिसका आवंटन 19 जून, 2019 की बोर्ड बैठक में किया गया था।

Note 37 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
दिग्विजय सिंह
निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबन्धक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : आगरा
दिनांक : 01 अगस्त 2019

Note 13 : अचल सम्पत्ति

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2018	Additions	As at 31 March, 2019	As at April 1, 2018	Depreciation Charge	As at 31 March, 2019	As at 31 March, 2019	As at 31 March, 2018
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	4525,12,871	6,03,50,060	51,28,62,931	15,97,35,608	5,93,42,108	21,90,77,716	29,37,85,215	29,27,77,263
		(4385,52,460)	(1,39,60,411)	(45,25,12,871)	(10,51,35,375)	(5,46,00,233)	(15,97,35,608)	(29,27,77,263)	(33,34,17,085)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	277,07,747	–	2,77,07,747	2,63,57,591	1,35,314	2,64,92,905	12,14,842	13,50,156
		(276,76,127)	(31,620)	(2,77,07,747)	(2,62,11,744)	(1,45,847)	(2,63,57,591)	(13,50,156)	(14,64,383)
	दफ्तर के उपकरण	40,07,097	47,000	(40,54,097)	8,84,106	4,19,308	13,03,414	27,50,683	31,22,991
		(37,83,807)	(2,23,290)	(40,07,097)	(5,22,864)	(3,61,242)	(8,84,106)	(31,22,991)	(32,60,943)
	कम्प्यूटर	1529,95,884	5,23,290	15,35,19,174	9,78,20,648	3,87,35,528	13,65,56,177	1,69,62,998	5,51,75,236
		(14,12,23,489)	(1,17,72,395)	(15,29,95,884)	(5,20,54,460)	(4,57,66,188)	(9,78,20,648)	(5,51,75,236)	(8,91,69,029)
	कुल (A)	**6372,23,599**	**6,09,20,351**	**69,81,43,950**	**28,47,97,953**	**9,86,32,259**	**38,34,30,212**	**31,47,13,738**	**35,24,25,646**
	गत वर्ष	(6112,35,883)	(2,59,87,715)	(63,72,23,599)	(18,39,24,443)	(10,08,73,510)	(28,47,97,953)	(35,24,25,646)	(42,73,11,440)
(b)	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले अवधि संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।								
	अमूर्त संपत्ति (अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)	3,42,06,657	7,84,700	3,49,91,357	1,54,61,131	1,11,00,654	2,65,61,785	84,29,571	1,87,45,525
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	(2,95,59,113)	(46,47,544)	(3,42,06,657)	(50,09,975)	(1,04,51,156)	(1,54,61,131)	(1,87,45,525)	(2,45,49,138)
	कुल (B)	**3,42,06,657**	**7,84,700**	**3,49,91,357**	**1,54,61,131**	**1,11,00,654**	**2,65,61,785**	**84,29,571**	**1,87,45,525**
	गत वर्ष	(2,95,59,113)	(46,47,544)	(3,42,06,657)	(50,09,975)	(1,04,51,156)	(1,54,61,131)	(1,87,45,525)	(2,45,49,138)
	(A+B)	**67,14,30,256**	**67,17,05,051**	**73,31,35,307**	**30,02,59,085**	**10,97,32,912**	**40,99,91,997**	**32,31,43,309**	**37,11,71,171**

नोट :

(i) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
मूर्त संपत्ति	9,86,32,259	1008,73,510
अमूर्त संपत्ति	1,11,00,654	104,51,156
कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया	5,05,08,276	532,28,607
	5,92,24,636	**580,96,059**

(ii) कोष्ठक में दिये गये आँकड़ें पिछले वित्तीय वर्ष के हैं :–

(iii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 32 देखें):

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at 1 April 2019	Additions	As at 31 March, 2019	As at 1 April 2018	For the year	As at 31 March, 2019	As at 31 March, 2019	As at 31 March, 2019
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	13,38,40,001	2,97,92,540	16,36,32,541	3,75,85,720	1,78,33,772	5,54,19,492	10,82,13,048	9,62,54,281
	फर्नीचरण व फिक्सचर	33,31,553	–	33,31,553	6,52,214	3,46,323	9,98,537	23,33,016	26,79,339
	दफ्तर के उपकरण	2,59,02,129	–	2,59,02,129	2,59,02,129	–	2,59,02,129	–	–
	कम्प्यूटर	10,08,42,638	–	10,08,42,638	6,63,28,735	2,54,06,467	9,17,35,202	91,07,436	3,45,13,903
	अमूर्त सम्पत्ति								
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2,07,67,224	–	2,07,67,224	86,34,243	69,21,715	1,55,55,958	52,11,266	1,21,32,981
	योग	**28,46,83,545**	**2,97,92,540**	**31,44,76,084**	**13,91,03,041**	**5,05,08,276**	**18,96,11,318**	**12,48,64,767**	**14,55,80,503**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

छठी वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की छठी वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2019 को पूर्वाहन 11:30 बजे ताज होटल एण्ड कन्वेनशन सेन्टर, ताज ईस्ट गेट रोड, ताज नगरी फेस–1, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. **31 मार्च, 2019 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2019 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी रूपये 8/– प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 23,03,287 समता अंशों पर रू. 2.22 करोड़ (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रू. 0.38 करोड़ शामिल है) वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताऐं पूर्ण करते हुये, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066) जो बार्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

4. **श्री जवाहर लाल (डी.आई.एन. 07081926), जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) श्री जवाहर लाल, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे है तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498) को जो ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगे।''

5. **श्री चन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. : 06964687), जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) श्री चन्द्र पाल सिंह, निदेशक, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे है तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410) जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा जिनकी आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या–101496 W है एवं जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में रूपये 10,50,000/– पारिश्रमिक एवं लागू जी.एस.टी. तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ छठी आम सभा की समाप्ति से लेकर सातवीं आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।''

7. **1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट को वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदित किया जाता है।''

8. **श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 08526484) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्तर्नियमों के अर्न्तगत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 08526484) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

9. **संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों पर विचार करना और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि प्रथम वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या – 09/प्रथम वार्षिक आम सभा : 11.12.2014/2014–15 को खारिज करते हुये एवं कंपनी के अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.4 के सन्दर्भ में व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (अर्थात संरक्षता) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्ड नीचे दिये गये है :

क्र.सं.	मानदण्ड	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'*
1	एक वर्ष में कंपनी को दूध आपूर्ति किये गये दिनों की संख्या।	330 दिन या उससे अधिक	300 दिन या उससे अधिक	200 दिन या उससे अधिक
2	कंपनी को आपूर्ति किये गये वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)।	12,000 या उससे अधिक	6,000 या उससे अधिक	500 या उससे अधिक
3	एक वित्तीय वर्ष में, शीतकालीन महीनों (नवम्बर–फरवरी) और ग्रीष्मकालीन महीनों (अप्रैल–जुलाई) के दौरान की गई दूध की आपूर्ति की मात्रा।	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	कंपनी के, अंकित मूल्य प्रति अंश रु. 100/–, अभिदान किये गये न्यूनतम अंशों की संख्या।	120 अंश	60 अंश	05 अंश

★**नोट –**

(अ) वास्तविक अंश पूंजी या आपूर्ति किये गये वास्तविक दूध की मात्रा, जोभी कम हो, श्रेणी वर्गीकरण करने के लिए माना जायेगा।

(ब) संरक्षता गणना करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :

(i) जिन सदस्यों को गत वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया है और अभी तक उन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 365 दिनों को पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक अंश पूंजी ले ली गई है, उन्हें उसी श्रेणी से सम्बन्धित माना जाएगा।

(ii) कोई भी सदस्य जो श्रेणी–ए या श्रेणी–बी के तहत मानदण्डों को पूरा नहीं करेगा, उसका उचित निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके लिए वह सदस्य मानदण्डों को पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष में निदेशक मण्डल के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा।

(iii) वे सदस्य जो कम से कम श्रेणी–सी को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं, को कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद संख्या 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यता निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया जायेगा।''

10. कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि करना और यदि सही माना जाये जो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

''निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अन्य लागू प्रावधान अगर कोई है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) तथा कंपनी के बर्हिनियम एवं अन्तर्नियम के अनुसार, रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिकत 15,00,000 (पन्द्रह लाख) समता अंश लाकर कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 30,00,000 (तीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 30,00,00,000/– (रूपये तीस करोड़) से बढ़ाकर रूपये 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 45,00,000 (पैंतालीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 45,00,00,000/– (रूपये पैंतालीस करोड़) किया जाये।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के बर्हिनियमों में पुनसंख्याकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

''VI कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी रू. 45,00,00,000/– (रूपये पैंतालीस करोड़) है, जो रू. 100/– प्रति अंश के 45,00,000 (रूपये पैंतालीस लाख) अंशों में बटी है।''

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी और कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 1 अगस्त, 2019
स्थान : आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. सदस्य/प्रतिनिधी छठी वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।

3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं–

   अ. निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।

   ब. दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न हुई पांचवी वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   स. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।

   2. वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट।

5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक साधारण सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सके।

6. व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) मद संख्या 8, 9 और 10 के लिए सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते के परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

8. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

10. सीमित आय (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

11. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 205ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (4)(C) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, उन उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है –

मद संख्या 3, 4, 5 एवं 8

निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों के नाम	योग्यता	व्यवसाय
श्री अनिल कुमार	स्नातकोत्तर	कृषक एवं पशुपालन
श्री योगेश कुमार जादौन	स्तानक	कृषक एवं पशुपालन
श्री शिव कुमार शर्मा	स्नातक	कृषक एवं पशुपालन
श्री हरेन्द्र पाल सिंह	स्नातक	कृषक एवं पशुपालन

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 1 अगस्त, 2019
स्थान : आगरा

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)
(सूचना पत्र 01 अगस्त, 2019 में दी गई मद संख्या 8, 9 और 10 से सम्बन्धित)

मद संख्सा : 8

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री हरेन्द्र पाल सिंह (जो ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि है) को निदेशक के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री हरेन्द्र पाल सिंह जिनकी योग्यता विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (4) (C) के अनुसार इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु योग्य होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी निदेशक पद के लिए प्रस्तावित की है, जो चयनित होने पर निदेशक मंडल में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री हरेन्द्र पाल सिंह के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल मद संख्या 8 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव को सूचना पत्र में वर्णित किया गया है तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या :9

कम्पनी साल दर साल बढ़ रही है और इसके अधिकतर सदस्यों ने अपने जानवरों की संख्या में वृद्धि की है तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा कम्पनी को एक वर्ष में आपूर्ति किये गये दूध में भी वृद्धि हो रही है। यह भी अनुमानित किया जाता है कि अधिकतर सदस्य अपने जानवरों की संख्या तथा दूध की आपूर्ति में भी वृद्धि करेंगे, जोकि बोर्ड में प्रत्येक श्रेणी (अर्थात श्रेणी–ए, श्रेणी–बी, श्रेणी–सी) के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगी। अतः यह उपयुक्त होगा कि कम्पनी में तीनों श्रेणियों, जहां तक संभव हो, वार्षिक दूध संकलन में एक तिहाई का योगदान करेंगी एवं तद्नुसार कम्पनी के बोर्ड में प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व एक तिहाई सदस्यों द्वारा होगा। इसलिए संरक्षता के आधार पर सदस्यों की विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए मानदण्डों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव में संशोधन को कम्पनी की आम सभा में सामान्य प्रस्ताव पारित करके संशोधित एवं अंगीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके संबन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या :10

वर्तमान समय में कंपनी की अधिकृत पूँजी रू. 30 करोड़ है, और जारी की गई है, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूँजी रू. 23.32 करोड़ है। कंपनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कंपनी की वृद्धि एवं विकास से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 45 करोड़ तक बढ़ाना आवश्यक है। अतः कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 45 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इस उद्देश्य हेतु इसके साथ संलग्न मद संख्या 10 में दिये प्रस्ताव में किये गये वर्णन के अनुसार कंपनी के बर्हिनियमों में बदलने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव में लागू होने वाले प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, कंपनी के लिए अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि तथा कंपनी के बर्हिनियमों के पूँजी से सम्बन्धित अनुच्छेद में बदलाव हेतु सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

प्रस्तावित संशोधनों के साथ बर्हिनियमों एवं अर्न्तनियमां की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए आज की दिनांक से मीटिंग की दिनांक तक सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

निदेशक मण्डल सदस्यों/अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मण्डल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किये गये सूचना पत्र की मद सं. 10 में वर्णित साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 1 अगस्त, 2019
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की पाँचवीं वार्षिक आम सभा जो ब्रहस्पतिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001 उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है।

बैठक में उपस्थित सदस्य –

1.	श्री महेश चन्द्र	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्री दिग्विजय सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री चन्द्र पाल सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री मुरारी लाल	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती अखिलेश	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती सुनीता	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री जवाहर लाल	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री अनिल कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री रजनीश कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री शिव प्रताप	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री अजय कुमार खोसला	विशेषज्ञ निदेशक
12.	श्री श्रीराम सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री ऋषिराज सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
14.	श्री वरूण वर्मा	कम्पनी सचिव

व्यक्तिगत और प्रतिनिधि रूप से उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या : 21,751

सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित : 314

सदस्य प्रतिनिधि रूप से उपस्थित : 21,437

श्री महेश चन्द्र ने बैठक की अध्यक्षता की तथा कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कंपनी की पाँचवी आम सभा में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा ने घोषणा की कि निदेशक मण्डल की समता अंश पूँजी के विवरण का रजिस्टर, प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंश पूँजी का रजिस्टर जाँच के लिए सभा के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है अथवा जो सदस्य उसे जाँचना चाहें, वह जाँच सकते है।

पाँचवीं वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष की सहमति पर पाँचवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई।

1. **31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।**

   श्री धीरज कुमार (फोलिया संख्या : 054160) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

   प्रस्ताव संख्सा : 01/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19,

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 का अंकेक्षित (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट एतद्द्वारा अपनाया जाता है।''

   श्री प्रेम प्रताप सिंह (फोलियो संख्या : 076314) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

   अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी के सीमिति लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।**

   श्री राकेश कुमार (फोलिया संख्या : 082165) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रूपये 8/– प्रति समता अंश की दर से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 18,56,650 समता अंशों पर रू. 1.79 करोड़ (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रू. 0.31 करोड़ शामिल है) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री भूपेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 082161) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिए विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :

श्री राजेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 014056) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/पाँचवी वार्षिक आम सभा 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स एस.बी. बिल्लिमोरिया, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, गुरुग्राम, हरियाण जिनका आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या – 101496 डब्ल्यू है एवं जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में रूपये 10,00,000/– पारिश्रमिक एवं लागू जी.एस.टी. तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ पाँचवीं आम सभा की समाप्ति से लेकर छठी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।''

श्री बिरेश चन्द्र (फोलियो संख्या : 012673) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :

श्री गिरेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 074966) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट को वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदित किया जाता है।''

श्री सुधीर कुमार (फोलियो संख्या : 074079) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. **श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

श्री जितेन्द्र (फोलियो संख्या : 036144) जो ''श्रेणी ए'' का प्रतिनिधित्व करते है ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 05/पाँचवीं वार्षिक आम सभा 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अर्न्तगत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री दिवेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 053875) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. **श्री रवि कुमार दीपक (डी.आई.एन. 08198061) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

श्री रामवीर सिंह (फोलियो संख्या : 02051) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते है ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुचछेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अर्न्तगत एवं

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री रवि कुमार दीपक (डी.आई.एन. 08198061) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगें।''

श्री हरवीर सिंह (फोलियो संख्या : 082844) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते है ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08198083) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

श्री बाबू राम (फोलियो संख्या : 076367) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्तावित संख्या : 07/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08198083) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुकत किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री जय सिंह (फोलियो संख्या : 031870) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

8. **कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि करना और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

श्री घनश्याम (फोलियो संख्या : 071080) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 08/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अन्य लागू प्रावधान, अगर कोई है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) तथा कंपनी के बर्हिनियम एवं अर्न्तनियम के अनुसार रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (दस लाख) समता अंश लाकर कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 20,00,000/– (रूपये बीस करोड़) से बढ़ाकर 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 30,00,000 (तीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 30,00,000/– (रूपये तीस करोड़) किया जाये।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के बर्हिनियमों में पुनसंख्याकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

VI कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी रू. 30,00,00,000/– (रूपये तीस करोड़) है, जो रू. 100/– प्रति अंश के 30,00,000 अंशों में बटी है।''

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी और कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतन्त्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री अजय कुमार (फोलियो संख्या : 048097) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कंपनी के अर्न्तनियमों में संशोधन के लिये मंजूरी देना तथा यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

श्री नरेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 08941) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 09/पाँचवीं वार्षिक आम सभा : 13.09.2018/2018–19

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा अगर कोई है, एवं धारा 31 सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य

लागू होने वाले अन्य प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) के साथ कंपनी के बर्हिनियम एवं अर्न्तनियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अर्न्तनियमों को जहाँ तक सम्भव हो सकें निम्न प्रकार से संशोधन किया जा सकता है–

1. वर्तमान अनुच्छेद 4.2 iii को रूपान्तिरित करके पढ़ा जाये।

   कोई भी सदस्य सदस्यता को जारी रखने के योग्य नहीं है, यदि :

   अ. उसका किसी भी प्रकार का व्यावहारिक हित हो जो कंपनी के व्यवसाय के लिए अनुकूल न हो, या

   ब. जो कर्मचारी लगातार छः महीनों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में या वर्तमान वित्तीय वर्ष से पूर्व अथवा दो वित्तीय वर्षों में या जिस वित्तीय वर्ष में वह पंजीकृत अथवा नामांकित होने के लिए प्रस्तावित है। उस वित्तीय वर्ष में, कंपनी में सविदात्मक रोजगार के जरिये कार्यरत था।

2. वह निदेशक प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे जिनका कार्यकाल अंतिम नियुक्ति के बाद से सबसे लंबा रहा है परन्तु ऐसे निदेशक जो एक ही तिथि पर निदेशक नियुक्त हुए थे उनमें से निदेशक का चुनाव पर्ची द्वारा किया जायेगा तथा यह शब्द और वाक्य अनुच्छेद 9.6 के उप अनुच्देद (i) में ''अनुच्छेद 9.5'' शब्द के बाद जोड़े जायेंगे।

3. वह निदेशक पद से हटने के पश्चात्, 3 वर्ष बाद पुनः निदेशक बनने के लिए योग्य होंगे। अनुच्छेद 9.7 में नियुक्त किये गये निदेशक की अवधि इस अनुच्छेद में मानी नहीं जायेगी। यह वाक्य अनुच्छेद 9.6 के उप अनुच्छेद iii में ''लगातार कार्यकाल'' के बाद जोड़ा जाये।

4. वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तिरित करके पढ़ा जाये :

   बोर्ड रिक्त पदों को भरने के लिए, बोर्ड एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकता है परन्तु किसी भी रिक्ति को भरने के लिए चुने गये सदस्य ने कम से कम दो वर्षों में लगातार सदस्यता निरंतरता मानदण्डों को पूरा किया हो तथा जो भी अतिरिक्त निदेशक या निदेशक नियुक्त होगा वो आगामी वार्षिक आम सभा तक ही पद पर निदेशक रह सकता है, या बोर्ड द्वारा निर्धारित कम अवधि के लिए भी निदेशक रह सकता है। ऊपर वर्णित सदस्यों को आगामी दो वर्षों के लिए रिक्त पद को भरने के लिए चयनित नहीं किया जा सकता है।

5. अनुच्छेद 9.16 में, उप अनुच्छेद xii के उपरान्त अनुच्छेद xiii को जोड़ा जाये :

   xiii उसका या उसके रिश्तेदार का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पिछले दो वित्तीय वर्ष में या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री का या कुल आय का दो प्रतिशत या उससे अधिक, या पच्चीस हजार रूपये या उससे अधिक की राशि जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो, इन सब में जो भी कम हो, कंपनी के साथ कोई भी लेन–देन है या वित्तीय सम्बन्ध है, सिर्फ (सदस्यता लाभ) को छोड़ के तो निदेशक निर्वाचित हो सकता है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी एवं कंपनी सचिव एतद्द्वारा पृथक रूप से आवश्यक फार्म कंपनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्री विजय सिंह (फोलियो संख्या : 067136) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

10. अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण, बैठक अध्यक्ष को आभार के साथ सम्पन्न हुई।

ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 06965523

तिथि : 13 सितम्बर, 2018
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2019–20
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन (लाखों में)	7.21
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,06,895.12
अन्य आय	रुपये लाखों में	422.21
कुल आय	रुपये लाखों में	1,07,317.33
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	92,818.41
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	13,837.10
कुल व्यय	रुपये लाखों में	1,06,655.51
कर पूर्व लाभ (अ–ब)	रुपये लाखों में	661.82
	प्रतिशत (%)	0.62

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2019–20
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	206.08
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	64.55
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	7.94
कुल व्यय	रुपये लाखों में	278.57

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | | | |

सदस्य कोड :
(16 अंकों का) | | | | | | | | | | | | | | | | |

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे ताज होटल एण्ड कन्वेनशन सेन्टर, ताज ईस्ट गेट रोड, ताज नगरी फेस–1, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली छठी वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंश धारक का नाम :	
प्रतिनिधि (Proxy) का नाम : (यदि प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहा है तो)	

सदस्य/प्रतिनिधि* के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | | | |

सदस्य कोड :
(16 अंकों का) | | | | | | | | | | | | | | | | |

मैं ..... निवासी .....

..... सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य

एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या | | | | | | | |

निवासी ..... और उनकी अनुपस्थिति में

श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या | | | | | | | |

निवासी ..... को कम्पनी की शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे ताज होटल एण्ड कन्वेन्शन सेन्टर, ताज ईस्ट गेट रोड, ताज नगरी फेस– 1, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली छठी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ।

रु. 1/–
का रेवेन्यू
टिकट

सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

दिनांक : .....

नोट : ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

सहज

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

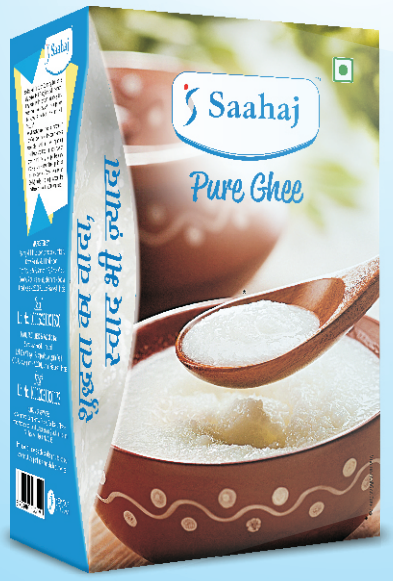

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)